पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की जांच से संबंधित पत्र लिखा

लखनऊ: 12 सितम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा है कि लोकायुक्त द्वारा 2014 में भेजे गये 12 विशेष प्रतिवेदनों, जिसमें 4 पूर्व मंत्री तथा 8 तत्कालीन अधिकारी व दो कर्मचारी हैं, पर अपना व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (explanatory memorandum) शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि उसे लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदनों के साथ अधिनियम की धारा 12(7) की अपेक्षानुसार राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराया जा सके।

श्री नाईक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्रियो, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाॅंच करने के उपरान्त उन्हें भ्रष्टाचार व कदाचार का दोषी पाते हुए उ0प्र0 लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(3) के अन्तर्गत विभिन्न तिथियों में आपको अथवा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को अपनी जाॅंच रिपोर्ट पे्रेषित करके उनके विरूद्ध विभिन्न कार्यवाहियाॅं किये जाने की संस्तुति की थी और अधिनियम की धारा 12(4) की अपेक्षा के अनुसार कृत कार्यवाही से लोकायुक्त को तीन माह के अन्दर अवगत कराने की अपेक्षा की थी।

राज्यपाल ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सूची में दर्शित तिथियों में अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत मुझे अपना विशेष प्रतिवेदन पे्रषित करके लोकायुक्त ने अवगत कराया है कि उपरोक्त प्रकरणों में तीन माह से पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त को कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है । उपरोक्त प्रकरणों में मुझे पे्रषित किये गये विशेष प्रतिवेदनों में लोकायुक्त द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार अधिनियम की धारा 12(7) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार आप अथवा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्पष्टीकरण-ज्ञापन (explanatory memorandum) हेतु विशेष प्रतिवेदनों को विभिन्न तिथियों में आपको अथवा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को पे्रषित कर दिया गया था परन्तु उन पर अभी तक स्पष्टीकरण ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं।

अंजुम/रा0/राजभवन-